

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2412  
(09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी का प्रभाव

2412. श्री महेश साहू:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त प्रभाव का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त क्षेत्रों के पुनर्विकास की सहायता करने के लिए अगली कार्ययोजना क्या है?

उत्तर  
ग्रामीण विकास मंत्री  
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राहत प्रदान करने और रोजगार और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। तथापि, इस मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

भारत सरकार ने दिनांक 26 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गरीबों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी सहायता की जा सके। घोषित राहत पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. महिला जन धन खाता धारकों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 3 महीनों (अप्रैल, मई और जून, 2020) के लिए प्रति माह 500 रुपए के एकबारगी अनुग्रह अनुदान का भुगतान शामिल है। प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेपीवाई) के अंतर्गत महिला जन धन खाता धारकों को तीन महीनों के लिए प्रति माह 500/- रुपए की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए कुल 30956.97 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं।
- ii. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के मौजूदा बुजुर्ग, विधवा और विकलांग/दिव्यांगजन लाभार्थियों को दो किस्तों (प्रत्येक किस्त में 500/- रुपए) में 1000 रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया गया था। एनएसएपी योजनाओं के मौजूदा 282 लाख लाभार्थियों के लिए पीएमजीकेवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल और मई, 2020 में दो किस्तों में अनुग्रह-अनुदान के रूप में कुल 2814.50 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे।
- iii. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की मजदूरी दर दिनांक 01.04.2020 से वर्ष 2019-20 की मजदूरी दर से औसतन 20 रु. बढ़ाई गई है।
- iv. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना (एनआरएलएम) के तहत स्व-सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए कोलेटरल फ्री ऋण सीमा को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. किया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों और इसी प्रकार प्रभावित अन्य नागरिकों के लिए रोजगार तथा आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के संसाधन पैकेज के साथ 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) का शुभारंभ किया था। इस अभियान का उद्देश्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश नामक 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर जोर देते हुए तंगहाल लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, गाँवों को सार्वजनिक अवसंरचना से परिपूर्ण करना तथा आय अर्जन कार्यकलापों एवं दीर्घकालिक आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आजीविका परिसंपत्तियों का निर्माण करना था। इस अभियान की शुरुआत 50,000 करोड़ रुपए के संसाधन पैकेज से की गई है। यह अभियान केंद्र सरकार के 12 मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा योजनाओं का तालमेलपूर्ण प्रयास है। इस अभियान के तहत 50 करोड़ से अधिक श्रम दिवस का रोजगार सृजित किया गया था जिसका व्यय 39292.81 करोड़ रुपये है।

जीकेआरए के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरन मिशन (एसपीएमआरएम) नामक चार योजनाओं का निर्धारण किया गया है। इस विषय में उपलब्ध इस प्रकार है:

- i. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल 770522 मकान स्वीकृत किए गए हैं और कुल 5618.19 करोड़ रुपए के व्यय से 481210 मकानों का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है।
- ii. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, 2902 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से 30.11.2020 तक 1529 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।
- iii. जीकेआरए के दौरान ग्रामीण नागरिकों को रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एसपीएमआरएम में 47 रूरन क्लस्टरों में विकास कार्यों का कार्यान्वयन तेज गति से किया गया है। इस अभियान की अवधि के दौरान, 13886 के लक्ष्य में से 13494 कार्य संपन्न किए गए हैं, जो समग्र वास्तविक लक्ष्य का 97 प्रतिशत है और 693.55 करोड़ रुपए का व्यय (तालमेल व्यय सहित) किया गया है, जो जीकेआरए के अंतर्गत एसपीएमआरएम में निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों का 87 प्रतिशत है।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किए गए अन्य प्रमुख उपायों की सूची निम्नानुसार है:

- i. महात्मा गाँधी नरेगा योजना, जो मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, में अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (06.02.2021 तक) 326 करोड़ से अधिक श्रम-दिवसों का सृजन हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के दौरान सृजित रोजगार से लगभग 44 प्रतिशत अधिक है और 1.61 करोड़ से अधिक नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत आवंटन 61,500 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपए कर दिया है।

- ii. पीएमएवाई-जी का उद्देश्य वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 24.44 लाख मकानों और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत 0.64 लाख मकानों का निर्माण कार्य 39195 करोड़ रु. के व्यय से संपन्न किया गया है।
- iii. अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें उपलब्ध कराकर ग्रामीण जनसमुदाय को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के उपाय के रूप में पीएमजीएसवाई को वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। कोविड के दौर में राज्यों को निर्देश दिए गए कि वे सड़क कार्यों की रफ्तार में तेजी लाएं, ताकि रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। पीएमजीएसवाई में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25,943 कि.मी.सड़क लंबाई का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाला व्यय 18,923 करोड़ रुपये है।
- iv. एसपीएमआरएम ऐसा अनूठा कार्यक्रम है, जिसे विकास की दहलीज़ पर खड़े ग्रामीण क्षेत्रों में उत्प्रेरक कार्यकलाप चलाने के लिए तैयार किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत पूरे देश में विषय-विशिष्ट आर्थिक विकास के केंद्र-बिंदुओं वाले 300 रुबन क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण क्लस्टर की पीपीआर में मौजूदा परियोजनाओं/प्रस्तावित कार्यों में बदलाव करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक आर्थिक कार्यकलापों को शामिल करने के विषय में एवाइजरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की थी। इस मिशन के जमीनी कार्यान्वयन में और सुधार करने के संबंध में मुद्दों की पहचान करने और सुझाव देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, स्व-सहायता समूहों के प्रतिनिधियों तथा राज्य और जिला अधिकारियों के साथ क्लस्टर-वार परामर्श आयोजित किए गए हैं। एसपीएमआरएम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तालमेल निधि और अनिवार्यपूरक निधि सहित कुल व्यय 3089 करोड़ रुपये हुआ है।
- v. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (पीएवाई-एनआरएलएम) का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल करके और उन्हें समय के साथ आय में पर्याप्त वृद्धि होने तक आर्थिक कार्यकलाप चलाने में निरंतर उनका मार्गदर्शन तथा उनकी सहायता करके गरीबी का उपशमन करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान (जनवरी, 2021 तक) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएवाई-

एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को अपने मौजूदा आर्थिक उपक्रमों को जारी रखने और नए उद्यम शुरू करने के लिए नई उत्पादक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भी निवेश की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से 56417 करोड़ रुपए का ऋण जुटाने में सहायता प्रदान की।

पीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए दो अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीपीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) शामिल हैं। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य या तो मजदूरी रोजगार पाने या स्व-रोजगार शुरू करने की ग्रामीण गरीब युवाओं की क्षमता बढ़ाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनलॉक आदेशों और प्रशिक्षण केंद्रों के खुलने के बाद, डीपीयू-जीकेवाई के अंतर्गत (दिसम्बर, 2020 तक) कुल 9986 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 36933 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक) कुल 111367 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 93874 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया है।

\*\*\*\*\*